ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 26, अंक 250 अगस्त 2024

की

हार्दिक शुभकामनाएँ

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

आश्वस्त

वर्ष : 26 अंक 250
अगस्त 2024

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
[illegible] खाण्डेगर
[illegible], अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी. ए. सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	3
2	The School Climate : A Neglected Aspect of Teaching - Learning in Government's School	Tasneem Ahmad (Research scholar)	4
3	माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म समप्रत्यय एवं शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में एक अध्ययन	डॉ. राजकुमारी गोला सहायक प्रोफेसर, कु. मोनिका शोधार्थिनी	8
4	मिडिल स्टेल पर अध्ययनरत सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन	डॉ. राजकुमारी गोला सहायक प्रोफेसर, उमरा इदरीस शोध छात्रा	11
5	जंगें आज़ादी में उर्दू कलमकारों का हिस्सा	डॉ. मो. अज़हर देरीवाला	14
6	दलित उत्पीड़न और धर्मांतरण का सटीक आख्यान है : दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी	विवेक कुमार	16
7	दलित कविता : सामाजिक न्याय और अधिकार की पुकार	डॉ. श्यौराजसिंह बेचैन सीनियर प्रो. हिन्दी विभाग, डी.यू.	18
8	स्वाधीनता आंदोलन और खड़ी बोली हिन्दी का साहित्य	देवचंद्र भारती, शोधार्थी, डॉ. दुर्गेश कुमार राय शोध निदेशक	21
9	दिव्यांगजनों के लिए ई-सेवाओं की उपयोगिता	डॉ. संतोष पाटीदार	24
10	हम लड़ रहे हैं (कविता)	डॉ. खन्ना प्रसाद अमीन	26

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

- चौहान, आर एंव पी०डी० (2015) अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा–2 प्रथम संस्करण (2015–16) 98–102।
- डॉ माथुर, एस०एस० (2011) शिक्षा के दार्शनिक तथा सामजिक आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा–2।
- दीक्षित, एस० (1989) शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व कारकों, बुद्धि एवं आत्म सम्प्रत्य का प्रभाव अप्रकाशित शोध प्रबंध मनोविज्ञान, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
- वर्मा, पी० एव श्रीवास्तव, डी०एन० (2014) आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, आगरा पब्लिकेशन्स, सोलहवाँ संस्करण 216–223।
- शर्मा, आर०ए० (2006) शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन्स, आर. लाल बुक, डिपो, मेरठ संस्करण (2005), 29–32।
- सिंह ए०के० (2013) उच्चतर सामन्य मनोविज्ञान, पटना विश्वविद्यालय पटना, षष्टम संस्करण (2013), पेज नं 142–145।
- Deshpande, M.B. (1984). An analytic study of cognitive affective development and scholastic achievement of tribal secondary school students. Unpublished Ph.D. thesis. Nagpur University. Nagpur.
- Mootsi, M.R. (1979). A study of the self-concept of Basotho male and female adolescents in secondary schools. Dissertation Abstracts International, 39 (8).

मिडिल स्टेज पर अध्ययनरत सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन

– **डॉ. राजकुमारी गोला** (सहायक आचार्य)

– **उमरा इदरीस** (शोध छात्रा)

सार–सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के समायोजन से विद्यार्थियों के समूह पर नवीन प्रभाव पड़ता है। यदि समायोजन दोनों विद्यार्थियों में अच्छा होगा तो दोनों प्रकार सामान्य एवं विकलांग के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है और आपस में समायोजन बनाकर अच्छी शिक्षा हासिल कर पाते हैं । इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के समूह में आपस में अच्छा समायोजन बैठ पाता है जिससे उन्हें उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हासिल करने के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थी आपस में समायोजन कर अपनी आकांक्षाओं को भी बढ़ा पाते हैं। और एक दूसरे के समूह में मिलकर अपना संपूर्ण विकास करते हैं। शैक्षिक समायोजन केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं वह विद्यार्थी के संपूर्ण विकास जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास व संवेगात्मक विकास जैसे विकास क्षेत्र में सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है इसी प्रकार सामान्य व विकलांग विद्यार्थी नवीन विशेषताओं को सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं।

बीजक शब्द : शैक्षिक समायोजन, मानसिक, संवेगात्मक विकास, सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थी।

प्रस्तावना : जैसा कि देखा जाता है कि यदि किसी मनुष्य को कोई भी चीज सीखनी या किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है तो वह किताबी ज्ञान तक अपने आप को केंद्रित न करके अपने आसपास के वातावरण व लोगों से सीखे जिससे उनके सीखने में रुचि भी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ किसी भी विषय को सीखने के लिए उसे आसानी हो जाती है। इसी प्रकार जब सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा की बात होती है यह प्रत्येक समूह अपने आप में विशेष प्रकार की विशेषताएं रखते हैं जो की शिक्षा को ग्रहण करने में अच्छा योगदान देती है । समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में अपने आप को सक्षम बनाता है । समायोजन करके कोई भी विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थियों का समूह अपने आप को नवीन विशेषताओं को अपने अंदर ग्रह करने व सिखाने के लिए तैयार करता है और वह उसी प्रकार अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करता है। इसी समायोजन को हम सामान्य व विकलांग विद्यार्थियों के समूह के अंतर्गत उनके शैक्षिक समायोजन पर ध्यान देते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि दोनों वर्गों के विद्यार्थी चाहे वह विकलांग हो या सामान्य दोनों आपस में समायोजित होकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए सक्षम है और साथ ही साथ दोनों वर्गों के समूह आपस में मिलकर अपनी–अपनी विशेषताओं व ज्ञान एक दूसरे को स्थानांतरण भी करते हैं जिससे सामान्य विद्यार्थियों को विकलांग विद्यार्थियों से व विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों से कुछ न कुछ नया सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व : प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में

सामाजिकता सीखने के लिए सबसे पहले विद्यालय में प्रवेश लेता है और विद्यालय ही एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां कोई भी विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर सामाजिकता को अच्छे से सीख पाता है। यदि सामान्य और विकलांग विद्यार्थी आपस में अच्छे से समायोजित होकर शिक्षा हासिल करते हैं तो वह खुद को नकारात्मक मानसिकता से दूर कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में खुद की बहुत उन्नति कर सकते हैं, शैक्षिक समायोजन से दोनों प्रकार के विद्यार्थी एक दूसरे से नए–नए विषय के बारे में पढ़ने व सीखने के अवसर एक दूसरे को प्रदान करते हैं और एक दूसरे से अच्छे से समायोजित होकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग खोजते हैं जिससे यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी विद्यार्थी आपस में समायोजित या समायोजन करके उन्नति के मार्ग को चुन सकता है जो कि अकेले वह किसी समूह में नहीं कर सकता। इसी प्रकार शैक्षिक समायोजन किसी भी विद्यार्थी को उसके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे वह एक–दूसरे से नये–नये विषयों के बारे में जान पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर भी प्रदान कर पाएंगे।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

1. सामान्य एवं विकलांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन करना।

2. सामान्य एवं विकलांग छात्राओं के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाऐं :–

1. सामान्य एवं विकलांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है

2. सामान्य एवं विकलांग छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन का सीमांकन :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में रामपुर जनपद के सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं निजी मिडिल स्टेज के विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 8 के विकलांग तथा सामान्य विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

परिकल्पना परीक्षण – 1. "सामान्य एवं विकलांग छात्रों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।" इस सम्बन्ध मे तालिका संख्या 1 प्रस्तुत हैं –

तालिका संख्या – 1

सामान्य एवं विकलांग छात्रों का शैक्षिक समायोजन

परिगणित मूल्य	छात्रों के प्राप्तांक	
	सामान्य	विकलांग
माध्य	22.36	20.41
प्रमाप विचलन	7.95	7.15
विद्यार्थियों की संख्या	430	170
माध्य अन्तर	1.95	
माध्य का प्रमाप विभ्रम	0.669	
टी–मूल्य	2.92	
सारणी मूल्य	1.96	
सर्थकता स्तर	0.05	
शून्य परिकल्पना	अस्वीकृत	

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट होता है कि सामान्य विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन सम्बन्धी प्राप्तांकों का औसत 22.36 है जबकि विकलांग विद्यार्थियों का औसत 20.41 है दोनों का माध्य अन्तर 1.95 है। माध्य अन्तर का प्रमाप विभ्रम 0.669 है। परिगणित टी – अनुपात 2.92 है, जो कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सारणी मूल्य 1.96 से अधिक है। अतः अन्तर सार्थक है शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर है दोनों समूहों के माध्यमों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि सामान्य विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन विकलांग विद्यार्थियों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि इस समूह का माध्य विकलांग समूह

की तुलना में 1.96 अंक अधिक है।

परिकल्पना परीक्षण – 2 : सामान्य एवं विकलांग छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।" इस सम्बन्ध मे तालिका संख्या 2 प्रस्तुत की गई है –

तालिका संख्या – 2

सामान्य एवं विकलांग छात्राओं का शैक्षिक समायोजन

परिगणित मूल्य	छात्राओं के प्राप्तांक	
	सामान्य	विकलांग
माध्य	21.54	20.65
प्रमाप विचलन	7.91	7.93
विद्यार्थियों की संख्या	228	113
माध्य अन्तर	0.89	
माध्य का प्रमाप विभ्रम	0.91	
टी–मूल्य	0.98	
सारणी मूल्य	1.96	
सार्थकता स्तर	0.05	
शून्य परिकल्पना	स्वीकृत	

तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि सामान्य छात्राओं के औसत प्राप्तांक 21.54 तथा विकलांग छात्राओं के औसत प्राप्तांक 20.65 है । दोनों का माध्य अन्तर 0.89 है। माध्य अन्तर का प्रमाप विभ्रम 0.91 है परिगणित टी– अनुपात 0.98 है जो कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सारणी मूल्य 1.96 से कम है। अतः अन्तर निरर्थक है। शून्य परिकल्पना स्वीकृत हुई है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामान्य एवं विकलांग छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में अन्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में, सामान्य एवं विकलांग छात्राओं का शैक्षिक समायोजन एक समान है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष की व्याख्या : प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निर्धारित परिकल्पनाओं के परीक्षण के आधार पर पाया गया है कि सामान्य एवं विकलांग छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है। वही सामान्य एवं विकलांग छात्राओं शैक्षिक समायोजन में अन्तर पाया गया है । अतः प्रस्तुत शोध से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों को समायोजित करके एक साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए तो वे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति कर सकते हैं और उनकी आकांक्षाएं भी एक दूसरे से सीख कर बढ़ सकती है तथा जो अन्तर पाया गया है उसे कम किया जा सकता है।

– डॉ. राजकुमारी गोला
सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

– उमरा इदरीस शोध छात्रा
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्विद्यालय, मुरादाबाद
मोबा 7017774936

संदर्भ :

- अरोड़ा, रीता (2005), "शिक्षा में नव चिन्तन", जयपुर: शिक्षा प्रकाशन।
- अग्निहोत्री, रविन्द्र (2007), "आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएँ एवं समाधान", जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- भट्टाचार्य, जी0सी0 (2005), "अध्यापक शिक्षा", आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
- दुबे, श्यामाचरण (2005), "भारतीय समाज", दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, पृष्ठ–126।
- लाल एवं पलोड़ (2007), "शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग", मेरठ: आर0 लाल बुक डिपो।
- प्रसाद, देवी (2001), "शिक्षा का वाहन: कला", दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, पृष्ठ–68,।
- पाण्डेय, राम शकल (2007), "शैक्षिक नियोजन एवं वित्त प्रबन्धन", आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, पृष्ठ–105, 115, 116, 124।
- शर्मा, रजनी एवं पाण्डेय, एस0पी0 (2005), "शिक्षा एवं भारतीय समाज", जयपुर: शिक्षा प्रकाशन, पृष्ठ 128–129।
- सुखिया, एस0पी0 (2005), "विद्यालय प्रशासन एवं संगठन", मेरठ: आर0 लाल बुक डिपो।